मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक:1029/आर–1122/2015/ब–1/चार. दिनांक: 13/08/2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः–लेखा परीक्षा से लोक लेखा समिति तक विभिन्न चरणों के प्रतिवेदनों का समय सीमा तय करना ।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क0 एफ 2–1/2012/नियम/चार, दिनॉक 04.06.2012 ।

–::000::–

महालेखाकार म.प्र.ग्वालियर द्वारा ध्यान में लाया गया है कि महालेखाकार के लेखा परीक्षा निरीक्षण तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की कंडिकाओं पर उत्तर विभागों द्वारा विलंब से भेजा जाता है जिस कारण लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की कंडिकाऐं लंबित रहती हैं । राज्य की वित्तीय प्रकियाओं में निरन्तर सुधार तथा पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि आक्षेप की कंडिकाओं पर तत्पर कार्यवाही की जाए । लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के विचार के दायरे में आते हैं । विभाग से संबंधित कंडिकाओं का पृथक उत्तर विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के अंदर लोक लेखा समिति को प्रेषित की जाए जिसकी प्रति महालेखाकार को भी दी जाए । लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं का कियान्वयन एवं कार्यवाही छः माह की सीमा में विभाग द्वारा दी जाए ।

इस विषय में वित्त विभाग के परिपत्र क्र0 एफ 2–1/2012/नियम/चार, दिनॉक 04.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देशा जारी किये गये हैं । कृपया तदनुसार निश्चित रूप से एवं समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये , जिससे कि राज्य की वित्तीय प्रकियाओं में निरन्तर सुधार तथा पारदर्शिता आ सके ।

(अजय नाथ) 12.8.15
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

पृ0क्र0:1030/आर–1122/2015/ब–1/चार, दिनांकः 13/08/2015

प्रतिलिपिः–

1/प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

2/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग